न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(सुश्री रजनी मीणा, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

अपील संख्याः–04 / 2019 निर्णय दिनांकः– 04.02.2021

उनवान

देवीलाल पुत्र अमरलाल जाति बैरवा निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक

–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1257 दिनांक 02.0.2019

तहसीलदार उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक

उपस्थितः– श्री महेश कासलीवाल वकील अपीलान्ट

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि आराजी खाता संख्या 609 खसरा नम्बर 1359 रकबा 1.38 है0 वाके ग्राम उखलाना मे हिस्सा 1/4 एवं खाता सख्या 385 ख0न0 1358 रकबा 1.96 है0 वाके ग्राम उखलाना में हिस्सा 1/4 तहसील उनियारा जिला टोंक स्थित है। अपीलान्ट के पिता अमरलाल एवं उनके भाई सेवाल व रामपाल पिसरान छोटा की मृत्यु हो चुकी हैं, अपीलान्ट के चाचा सेवालाल व रामपाल अविवाहित लाऔलाद फोत हो गये हैं तथा अपीलान्ट के पिता ही आने भाई सेवालाल, रामपाल की चल व अचल सम्पत्ति का एक मात्र मालिक एवं उत्तराधिकारी हैं अपीलान्ट के पिता अमरलाल की मृत्यु हो चुकी है और अपीलान्ट ही एक मात्र उनकी चल व अचल सम्पत्ति का मालिक एवं स्वामी हे।

अपीलान्ट द्वारा अपने चाचा पुत्री छोटू की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आरजी का नामान्तकरण अने पक्ष में खोले जाने बाबत प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट को प्रस्तुत किया , जहा पटवारी हल्का द्वारा मोक पर जाकर मोका पर्चा दिनांक 26.07.2018 को ग्रामवासियों के समक्ष तैयार किया जिसमें अपीलान्ट को ही उक्त आराजीयात का विरासत के आधार पर मालिक एवं स्वामी मानते हुए उकत आराजीयात का नामान्तकरण अपीलान्ट के पक्ष में खोल दिया गया लेकिन पटवारी हल्का श्रीविजय सिंह का स्थानान्तकरण होने पर नवपदस्थापित पटवारी हल्का जमना कुमारी शर्मा ने उक्त नामान्तकरण मे रिपोर्ट की कि उपीलान्ट अकेला वारीस नही है। इसलिए वारीसान की जॉच धारा 135 मे होना अपेक्षित है। जिससे नामान्तकरण को खारिज कर दिया गया ।

यह कि रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना किसी वैध अधिकार के वादग्रस्त आराजीयात का नामान्तकरण खारिज कर दिया, जिसका उसे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। अपीलान्ट ही वादग्रस्त आराजीयात का एक मात्र उत्ताधिकारी होने से वादग्रस्त आराजीयात का नामान्तकरण अपीलांट के पक्ष में तस्दीक किया जाना न्यायेचित व विधिसंगत है।

अतः अपील मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वे वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 609 खसरा नम्बर 1359 रकबा 1.38 है0 वाके ग्राम उखलाना मे हिस्सा 1/4 एवं खाता सख्या 385 ख0न0

उपखण्ड अधिकारी

उनियारा

1358 रकबा 1.96 है0 वाके ग्राम उखलाना में हिस्सा 1/4 तहसील उनियारा जिला टोंक का फोती नामान्तकरण अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक करने का आदेश प्रदान करें।

उक्त अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

बावजूद तामील नोटिस रेस्पोडेन्ट के उपस्थित नही हुये है। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अपीलान्ट के वकील ने अपील मे वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 1257 दिनांक 02.07.2019 विरूद्व तहसीलदार उनियारा में वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 609 खसरा नम्बर 1359 रकबा 1.38 है0 वाके ग्राम उखलाना मे हिस्सा 1/4 एवं खाता सख्या 385 ख0न0 1358 रकबा 1.96 है0 वाके ग्राम उखलाना में हिस्सा 1/4 तहसील उनियारा जिला टोंक का फोती नामन्तकरण अपीलान्ट के पक्ष मे तस्दीक करने का आदेश प्रदान करे। तथा अपीलन्ट के अधिवक्ता ने 1987 RRD पृ. 106 पैरा 21 पेश किया कि

(b) Order of mutation in an undisputed case will be deemed to have been passed by the officer in the capacity of Assistant land Records officer and appeal agianst the same will lie to the Sub division officer order in disputed cases will be deemed to have been passed by the officer in the capacity of Land Records Officer and appeal against the same will lie to Director(Land Records); presently according to Govt. orders, to additional Regional Commissoner.

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध आराजी ख़ाता संख्या 609 खसरा नम्बर 1359 रकबा 1.38 है0 वाके ग्राम उखलाना मे हिस्सा 1/4 एवं खाता सख्या 385 ख0न0 1358 रकबा 1.96 है0 वाके ग्राम उखलाना में हिस्सा 1/4 तहसील उनियारा जिला टोंक के वारिसान के नाम नामान्तकरण को तहसीलदार उनियारा द्वारा खारिज किया गया हैं । उक्त नामान्तकरण न्यायालय के क्षैत्राधिकार से बाहर है। जिससें अपील स्वीकार करना उचित नही समझता है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय अपीलान्ट की अपील खारिज किया जाता है। उक्त नामान्तकरण की अपील भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75(क) के तहत सक्षम न्यायालयसमक्ष न्यायालय में करे।

यह निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी उनियारा